

364



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग-990-716

प्रकरण क्रमांक

12086 निगरानी

- १- मोगीराम पुत्र किचौले धीवी,
- २- रामकुमार।पुत्राण सरनाम धीवी,
- ३- संतराम ।

सम्मत निवासीगण ग्राम टोला, तेस्लील व जिला मिण्ड (मध्यप्रदेश) ।

----- प्राथीगण

विरुद्ध

- ✓ १- बागेश्वरी पुत्री रघुवीर बत्नी सीताराम धीवी, निवासी- ग्राम-हरपुरा तेस्लील लहार, जिला मिण्ड (म०प्र०) ।
- २- रामजीवन पुत्री किचौले बत्नी धीवीलाल, निवासिन ग्राम रामपुरा तेस्लील माधीगढ़, जिला जालीन (उत्तर प्रदेश) ।
- ३- कपलेश पुत्र रघुवीर धीवी, निवासी ग्राम टोला, तेस्लील लहार, जिला मिण्ड (म०प्र०) ।

----- प्रतिप्राथीगण

निगरानी विरुद्ध आदेश एस०डी०बी० महीदय (राजस्व) लहार, जिला मिण्ड (मध्यप्रदेश) दिनांक ८-३-६६ अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता, १९५६। प्र०क्र० १३।१९-१२-जी०-नाल ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्राथीना-पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

- १- यह कि, एस०डी०बी० महीदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।
- २- यह कि, एस०डी०बी० महीदय ने प्रकरण के इकट्ठे रकम कानूनी स्थिति की सही रूप से नहीं समझा है ।

3

३- यह कि, प्रतिप्राथी क्रमांक-१ के द्वारा एस०डी०बी० महीदय

कम शः--२

श्री एस.के. ०१०२२०/२८८०  
 द्वारा आज दि. २१-३-६६ को  
 प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट  
 राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश

श्री एस.के. ०१०२२०/२८८०  
 २१/३/६६

21/3/16

-2-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-990-एक/2016

जिला-भिण्ड

मांगीराम आदि विरुद्ध जागेश्वरी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
11-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी लहार, जिला-भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 13/2011-12/अपील माल में पारित आदेश दिनांक 08-03-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 मू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-भिण्ड के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 08-05-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	

3.

(आर0के0 जैन) सदस्य 3.19